न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2151 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 28/09/2022

प्रार्थीगण :-

1.ढेलीदेवी पत्नि केशराराम 2.वागाराम 3.दीपाराम पि. सोनाराम 4.सोनी पत्नि सोनाराम 5.शंकरराराम 6.बाबूराम पि.केशराराम 7.ठाकराराम पुत्र कुंभाराम 8.नामादेवी पत्नि कुंभाराम 9.सोमजी पुत्र लच्छाराम, जातियान भील, निवासी कोनरा, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. ग्राम पंचायत कोनरा जरिये सरपंच
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 60/2022 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : **27.09.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कोनरा के मौजा कोनरा के खेत खसरा सं. 384 रकबा 07.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी चौहटन)

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2152 to 2155 　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 28/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी ढेलीदेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण ग्राम पंचायत कोनरा जरिए सरपंच
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बाबत विधिसम्मत/मय...

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:00 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी चौहटन)